D:\SETHI\WORD\allot.2009-10.doc

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांकः–एफ. 2( )बजट/आवंटन/आईसीडीएस/09/ 82896-918 जयपुर, दिनांक 8.12.09

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाऐं,
..................जिला................ ।

विषयः–आई.सी.डी.एस.(सामान्य) आयोजना एवं सी.एस.एस. अंतर्गत बजट आवंटन वर्ष 2009–10.

आई.सी.डी.एस (सामान्य) सी.एस.एस. अंतर्गत स्वीकृत नवीन 23 परियोजना कार्यालयों के प्रशासनिक व्ययों हेतु आई.सी.डी.एस. (सामान्य) अंतर्गत विभिन्न उपमदों में वर्ष 2009–10 के लिए संलग्न परिशिष्ट 'अ' व 'ब' में अंकितानुसार बजट आवंटित किया जाता है।

आवंटित राशि का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, आई.सी.डी.एस. मार्ग निर्देशिका एवं विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों व निर्धारित मानदण्डो (नार्म्स) के तहत नियमानुसार किया जावे। आवंटित बजट के उपयोग में निम्नांकित दिशा–निर्देशों की कडाई से अनुपालना की जावेः–

1. कौषालय से आहरित किये जाने वाले बिलों पर आवंटित बजट अनुसार बजट शीर्षक का स्पष्ट व सही अंकन किया जावें ताकि खर्चो का इन्द्राज सही शीर्षक के अंतर्गत कोषाधिकारी तथा महालेखाकार कार्यालय द्वारा अपनी पुस्तकों में किया जा सके। इस हेतु **समस्त लेखा शीर्षों की अलग–अलग नवीन मोहरे बनवायी जाकर, संबंधित बिलों पर अंकित की जावे।** लेखा शीर्षक का सही अंकन नहीं करने की दशा में इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की होगी।
2. प्रतिमाह किये गये व्यय की मदवार सूचना **प्रत्येक माह की 5 तारीख तक आवश्यक रूप से** लेखाकार/लेखाकर्मी के साथ संबंधित जिला कार्यालय को भिजवावें। साथ ही विभाग की वेवसाइट पर भी संबधित परियोजना कार्यालय के व्यय लेखों का इन्द्राज किया जावे। मासिक व्यय विवरणों के साथ सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों को सेवानिवृति पर शेष उपार्जित अवकाशों के एवज में किये गये अवकाश नकदीकरण के भुगतान की सूचना भी भिजवावें।
3. प्रायः अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा आवंटित राशि का उपयोग नियमित रूप से नहीं किया जाकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों में एक साथ व्यय करने की प्रवृति अपनायी जाती है। इससे वित्तीय अनियमितताऐं होती है एवं प्रावधान राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। उक्त प्रवृति को जनलेखा समिति/महालेखाकार एवं वित्त विभाग द्वारा गंभीरता से लिया जाता है एवं प्रावधानों के अनुसार पूर्ण राशि का उपयोग नहीं करने पर वित्त विभाग द्वारा संशोधित बजट अनुनानों में विभाग के लिए स्वीकृत प्रावधानों को कम कर दिया जाता है। अतः किसी परियोजना कार्यालय द्वारा देयताओं का नियमित रूप से भुगतान नहीं करने पर वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत प्रावधान में राशि कम कर देने पर संबंधित परियोजना कार्यालयों को आवंटित राशि में भी तदनुसार कमी कर दी जावेगी, जिसके फलस्वरूप बकाया रहने वाली देयताओं के लिए संबंधित परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होगें। अतः सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि बजट का नियमित रूप से आवश्यक राजकीय कार्यो/प्रयोजनों पर नियमानुसार उपयोग किया जावे।
4. स्वीकृत पदों के साथ–साथ आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, सहयोगिनियों को मानदेय का भुगतान प्रतिमाह किया जाना सुनिश्चित करें। कोष कार्यालय से बिल आहरित करने से

...........2.

पूर्व इस विभाग के परिपत्र संख्या 26717 दिनांक 23.4.09 की पूर्ण पालना की जावे। साथ ही निम्न निर्देशों की भी पालना सुनिश्चित करावें:–

(1) राज्य सरकार द्वारा यात्रा भत्ता नियमों में आदेश कमांक एफ. 7(3)वित्त/नियम/98–I दिनांक 13.3.08 से संशोधन किया गया है। अतः कर्मचारियों/पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत यात्रा भत्ता बिलों की नये नियमों के अनुसार समुचित जांच कर, भुगतान की कार्यवाही की जावे।

(2) कार्यालय/आंगनबाडी भवनों के किराये की सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी कर दिये जाने के पश्चात प्रतिमाह भवन मालिक से बिल प्राप्त नहीं होने पर, भुगतान में विलम्ब करना अनुचित है। इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किराये की दरों के आधार पर प्रतिमाह भुगतान स्वीकृति जारी कर कोषालय से बिल पारित कराये जावे एवं उसका भुगतान संबंधित भवन मालिक के बैंक खाते में जमा कराया जावे।

(3) गरम पूरक पोषाहार एवं स्वंय सहायता समूहों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे पोषाहार के बिलों का प्रतिमाह विभागीय निर्देशों के अनुसार जांच कर, भुगतान सुनिश्चित किया जावे। एक माह से अधिक का विलम्ब होने पर संबंधित सैक्टर पर्यवेक्षक/परियोजना अधिकारी व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।

कार्यालय व्यय (आवर्तक) मद में आवंटित राशि का उपयोग सर्व प्रथम नियमित देयताओं यथा नल, बिजली व टेलीफोन आदि के बिलों के चुकारे पर किया जावे तत्पश्चात अन्य आर्वतक व्ययों हेतु उपयोग किया जावे। यह सुनिश्चित किया जावें कि व्यय आवंटित बजट सीमा के अध्यधीन ही हो। किसी भी प्रकार की देयताऐं अगले वित्तीय वर्ष के लिए लंबित (पेण्डिग) नहीं रखी जावे।

आवंटित बजट से अधिक व्यय को वित्तीय नियमों की अवहेलना माना जावेगा तथा इस हेतु संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

संलग्नः– बजट आयंटन वर्ष 2009–10
परिशिष्ठ–अ एवं ब।

मुख्य लेखाधिकारी

क्रमांकः–एफ 2( )बजट/आवंटन/आईसीडीएस/09/83919-930 जयपुर, दिनांक 8.12.09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. उपनिदेशक (बाल विकास), समेकित बाल विकास सेवाऐं.......................।
2. प्रोग्रामर, मुख्यालय वेब साइट पर डालने हेतु।

मुख्य लेखाधिकारी

प्रोग्रामर जी

(11)

Government of Rajasthan
Directorate of Integrated Child Development Services

Budget Allotment for the year 2009-10 Under ICDS Gen. CSS

Grant No. 33

Budget Head : 2236 - Poshan

02 - Distribution of Nutritious Food & Liquid

101 - Special Nutrition Programme

(01) - Through ICDS Department

[02] - Integrated Child Development Scheme (CSS)

(Rs. In lacs)

S. No.	Detailed Head ==> Name of DD/Project	01 Salary	02 Wages	03 T.A. Office	03 T.A. Field	04 Medical	05 OE Office	05 OE AWC Recri	09 Rent/Rates & Taxes Office	09 Rent/Rates & Taxes Anganwadi	20- Maint. & Opet. Of Field Vech.	36 Vehicle on hire	42- Hon.to. AWW/AWH	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बाविपअ, बायतू–II	10.00	0.00	0.10	0.10	0.05	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.20	10.00	20.60
2	.. बालोतरा–II	10.00	0.00	0.10	0.10	0.05	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.20	10.00	20.60
3	.. चौहटन–II	10.00	0.00	0.10	0.10	0.05	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.20	10.00	20.60
4	.. धोरीमन्ना–II	10.00	0.00	0.10	0.10	0.05	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.20	10.00	20.60
5	.. सिन्धरी–II	10.00	0.00	0.10	0.10	0.05	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.20	10.00	20.60
6	.. शिव–II	10.00	0.00	0.10	0.10	0.05	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.20	10.00	20.60
7	.. बाड़मेर–II	10.00	0.00	0.10	0.10	0.05	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.20	10.00	20.60
8	.. नोखा–II	10.00	0.00	0.10	0.10	0.05	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.20	10.00	20.60
9	.. बीकानेर–II	10.00	0.00	0.10	0.10	0.05	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.20	10.00	20.60
10	.. बांदीकुई–II	10.00	0.00	0.10	0.10	0.05	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.20	10.00	20.60
11	.. सांचौर–II	10.00	0.00	0.10	0.10	0.05	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.20	10.00	20.60
12	.. हनुमानगढ़ ग्रा.–II	10.00	0.00	0.10	0.10	0.05	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.20	10.00	20.60
13	.. नोहर ग्रा.–II	10.00	0.00	0.10	0.10	0.05	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.20	10.00	20.60
14	.. औसियां–II	10.00	0.00	0.10	0.10	0.05	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.20	10.00	20.60
15	.. दूदू–II	10.00	0.00	0.10	0.10	0.05	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.20	10.00	20.60
16	.. गोविन्दगढ़–II	10.00	0.00	0.10	0.10	0.05	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.20	10.00	20.60
17	.. जयपुर–4	10.00	0.00	0.10	0.10	0.05	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.20	10.00	20.60
18	.. अनूपगढ़–II	10.00	0.00	0.10	0.10	0.05	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.20	10.00	20.60
	TOTAL :	180.00	0.00	1.80	1.80	0.90	1.80	0.00	0.00	0.90	0.00	3.60	180.00	370.80

मुख्य लेखाधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान–जयपुर

Government of Rajasthan

Directorate of Integrated Child Development Services

परिशिष्ट–ब

Budget Allotment for the year 2009-10 Under ICDS Gen. CSS/PLAN

मांग संख्या–33
लेखा शीर्ष– 2236 पोषण
02– पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
101–विशेष पोषण कार्यक्रम
(01)– समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम द्वारा
[01] - पोषाहार क्रेत कार्यक्रम, 61- खाद्य सामग्री (CS (Colum 3 to 7)
[02] -एकीकृत बाल विकास योजना ,
42. प्रोत्साहन एवं मानदेय (आयोजना) (Colum 12)

मांग संख्या–33
लेखा शीर्ष– 2236 पोषण
02– पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
101–विशेष पोषण कार्यक्रम
(01)– समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम द्वारा
[08] - सहयोगिनी को मानदेय, 28- विविध व्यय (आयोजना) (Colum 9 & 10)

मांग संख्या–33
लेखा शीर्ष– 2236 पोषण
02– पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
101–विशेष पोषण कार्यक्रम
(01)– समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम द्वारा
[09] - महिला कल्याण कोष, 28- विविध व्यय (आयोजना) (Colum 13)

(Rs. In lacs)

S. No.	Name of the Office	CSS						PLAN				
		Food	Transport	Hot Meal	RTE-SHG	Adverti.	Total	Sah.Hon.	Sah.T.A.	Total	Hon. AWW/AWH	AKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बाविपअ, बागटू–II	0.00	0.20	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	3.00	0.10
2	.. बालोतरा–II	0.00	0.20	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	3.00	0.10
3	.. चौहटन–II	0.00	0.20	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	3.00	0.10
4	.. धोरीमन्ना–II	0.00	0.20	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	3.00	0.10
5	.. सिणधरी–II	0.00	0.20	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	3.00	0.10
6	.. शिव–II	0.00	0.20	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	3.00	0.10
7	.. बाड़मेर–II	0.00	0.20	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	3.00	0.10
8	.. नोखा–II	0.00	0.20	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	3.00	0.10
9	.. बीकानेर–II	0.00	0.20	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	3.00	0.10
10	.. बांदीकुई–II	0.00	0.20	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	3.00	0.10
11	.. सांचौर–II	0.00	0.20	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	3.00	0.10
12	.. हनुमानगढ ग्रा.–II	0.00	0.20	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	3.00	0.10
13	.. नोहर ग्रा.–II	0.00	0.20	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	3.00	0.10
14	.. औसियां–II	0.00	0.20	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	3.00	0.10
15	.. दूदू–II	0.00	0.20	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	3.00	0.10
16	.. गोविन्दगढ़–II	0.00	0.20	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	3.00	0.10
17	.. जयपुर–I	0.00	0.20	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	3.00	0.10
18	.. अनूपगढ़–II	0.00	0.20	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	3.00	0.10
	TOTAL	0.00	3.60	90.00	0.00	0.00	93.60	0.00	0.00	0.00	54.00	1.80

मुख्य लेखाधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएँ

Government of Rajasthan
Directorate of Integrated Child Development Services

Budget Allotment for the year 2009-10 Under ICDS Gen. CSS

Grant No. 30
Budget Head : 2236 - Poshan
02 - Distribution of Nutritious Food & Liquid
796 - Tribal Sub Plan
(01) - Through ICDS Department
[02] - Integrated Child Development Scheme (CSS)

(Rs. In lacs)

S. No.	Detailed Head ==> Name of DD/Project	01 Salary	02 Wages	03 T.A. Office	03 T.A. Field	04 Medical	05 OE Office	05 OE AWC Recri	09 Rent/Rates & Taxes Office	09 Rent/Rates & Taxes Anganwadi	20- Maint. & Opet. Of Field Vech.	36 Vehicle on hire	42- Hon.to AWW/AWH	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बाविपअ, प्रतापगढ़–II	10.00	0.00	0.10	0.10	0.05	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.20	10.00	20.60
2	,, गढ़ी–II	10.00	0.00	0.10	0.10	0.05	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.20	10.00	20.60
3	,, बिछीवाड़ा–II	10.00	0.00	0.10	0.10	0.05	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.20	10.00	20.60
4	,, सागवाड़ा–II	10.00	0.00	0.10	0.10	0.05	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.20	10.00	20.60
5	,, सीमलवाड़ा–II	10.00	0.00	0.10	0.10	0.05	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.20	10.00	20.60
	TOTAL :	50.00	0.00	0.50	0.50	0.25	0.50	0.00	0.00	0.25	0.00	1.00	50.00	103.00

मुख्य लेखाधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान–जयपुर

Government of Rajasthan
Directorate of Integrated Child Development Services

परिशिष्ट-४

Budget Allotment for the year 2009-10 Under ICDS Gen. CSS

मांग संख्या-30
लेखा शीर्ष- 2236 पोषण
02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
796-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना
(01)- समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा
[01] - पोषाहार कैश कार्यक्रम, 61- खाद्य सामग्री (आयोजना)
(Colum 3 to 7)

मांग संख्या-30
लेखा शीर्ष- 2236 पोषण
02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
796-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना
(01)- समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा
[06] - सहयोगिनी को मानदेय, 28- विविध व्यय (आयोजना)
(Colum 9 & 10)

मांग संख्या-30
लेखा शीर्ष- 2236 पोषण
02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
796-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना
(01)- समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा
[08] - महिला कल्याण कोष, 28- विविध व्यय (आयोजना)
(Colum 13)

(Rs. In lacs)

S. No.	Name of the Office	CSS						PLAN				
		Food	Transport	Hot Meal	RTE-SHG	Adverti.	Total	Sah.Hon.	Sah.T.A.	Total	Hon. AWW/AWH	AKK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बाविपअ, प्रतापगढ़-II	0.00	0.20	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	3.00	0.10
2	.. गढ़ी-II	0.00	0.20	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	3.00	0.10
3	.. विछीवाड़ा-II	0.00	0.20	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	3.00	0.10
4	.. सागवाड़ा-II	0.00	0.20	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	3.00	0.10
5	.. सीमलवाड़ा-II	0.00	0.20	5.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	3.00	0.10
	TOTAL	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.50

मुख्य लेखाधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान-जयपुर